

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-121 / 18-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

द्वोमनिक होरो वो सिरनुस होरो – विक्रेता

सलगी हेरेंज — क्रेता

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की क्रम संख्या और तारीख ४०८१८	<p style="text-align: center;">सलगा हरज</p> <p style="text-align: center;">आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक 1. दोमनिक होरो वो 2. सिरनुस होरो पिता स्व० बेनेदिक होरो ग्राम कर्रा, थाना कर्रा, जिला खूँटी, ने सलगी हेरेंज पति रैया धान ग्राम मेहा, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">ग्राम</th> <th style="width: 20%;">थाना नं०</th> <th style="width: 20%;">खाता नं०</th> <th style="width: 20%;">खेसरा सं०</th> <th style="width: 20%;">रकवा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कर्रा</td> <td>85</td> <td>67</td> <td>183</td> <td>0.15</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान/आवासीय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र एवं लगान की रसीद सं० 004519 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र एवं लगान की रसीद सं० 004519 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 683 दिनांक 03.08.18 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम मंगरा मुण्डा वगैरह है। पंजी II के अनुसार मंगरा मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का रकवा 26.15½ एकड़ है। आवेदक के पास रकवा 6.50 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015-16 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 15000.00(पन्द्रह हजार)रु० प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 6.35 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना कर्रा के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरुआ आम, खास, मन्दिर, मरिजद, भूझहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, कर्रा ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, कर्रा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण 1. दोमनिक होरो वो 2. सिरनुस होरो पिता स्व० बेनेदिक होरो को सलगी हेरेंज पति रैया धान के साथ ग्राम कर्रा के खाता सं० 67 खेसरा संख्या 183 का रकवा 0.15 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 15000.00(पन्द्रह हजार)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। पर अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p style="text-align: right;">लेखापित प्रबं संशोधित ३०/०८/१८ भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: right;">भूमि सुधार उप समाहर्ता, १८/०८/१८ खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकवा (एकड़ में)	कर्रा	85	67	183	0.15
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकवा (एकड़ में)							
कर्रा	85	67	183	0.15							